संख्या-109/2018/165/22-2-2018-01जी/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2018***

विषय: प्रदेश के कारागारों में लम्बे समय से बन्द उम्रदराज एवं अशक्त कैदियों की दयायाचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के क्रमश: पत्र सं0-1748/प्रोबेशन-6/उ0प्र0दिवस/2018, दिनांक 13.01.2018 तथा पत्र सं0-2236/प्रोबेशन-6/उ0प्र0दिवस/2018, दिनांक 17.01.2018 द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 14 वर्ष की अपरिहार सजा काट चुके तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुल 828 सिद्धदोष बन्दियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

2- कारागार मुख्यालय से प्राप्त उक्त सूचना के आधार पर शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित दो श्रेणियों के सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त बन्दियों से दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र **दिनांक 31.01.2018** तक प्राप्त कर लिये जायं, तदोपरान्त कारागार स्तर की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर आख्या/संस्तुति प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेटों को **दिनांक 15.02.2018** तक प्रेषित कर दिया जाय।

(i) ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो 14 वर्ष या उससे अधिक अपरिहार सजा काट चुके हैं (प्राप्त सूचनानुसार कुल-66 बन्दी)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम है तथा जो 18 वर्ष या उससे अधिक अपरिहार सजा काट चुके हैं (प्राप्त सूचनानुसार कुल-100 बन्दी)।

3- सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की आख्याएं प्राप्त कर अपनी आख्या/संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को **दिनांक 28.02.2018** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तदोपरान्त महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ, दयायाचिका समिति के विचारणोपरान्त उक्त सिद्धदोष बन्दियों की दयायाचिका के आधार पर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ **दिनांक 15.03.2018** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उन पर विचार कर निर्णय लिया जा सके।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-109/2017/165(1)/22-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in